न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : भँवरलाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 159/2023 (72/2018)

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. ढलाराम पुत्र स्व. हुकमाराम 2. महेन्द्र पुत्र स्व. हुकमाराम 3. मोतीलाल स्व. हुकमाराम जातियान– माली, निवासीगण मंदिर वाला बेरा, माता का थान, पूंजला, जोधपुर।		1. कालूसिंह पुत्र आसूलाल गहलोत निवासी– नरसिंह प्याउ के पास, कीर्ती नगर, जोधपुर। 2. रामदयाल पुत्र स्व. हुकमाराम 3. लेखराज पुत्र स्व. हुकमाराम 4. श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी स्व. हुकमाराम जातियान– माली, निवासीगण मंदिर वाला बेरा, माता का थान, पूंजला जोधपुर 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 21/2017 अनवान कालूसिंह बनाम श्रीमती शान्तीदेवी वगैराह में पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

उपस्थितीः–

1. श्री हरिसिंह कच्छावा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री जे0 गहलोत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से
3. श्री धमेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या दो ता चार की ओर से
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 18 जून, 2024

अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 21/2017 अनवान कालूसिंह बनाम श्रीमती शान्तीदेवी वगैराह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध दिनांक 02.02.2018 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

पक्षकरान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अभिभाषक ने यह कथन किया कि खातेदार श्रीमांगीलाल की एक जायदाद ग्राम पूंजला में

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ख0सं0 335 रकबा 13.19 बीघा आई हुई है जो एक पैतृक सम्पति है। खातेदार मांगीलाल का देहान्त दिनांक 31.5.1987 को हो गया जिनका फौतेदगी नामा0 उनके पुत्रों के नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत किया गया। स्व. हुकमाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलान्टगण है। हुकमाराम का भी देहान्त हो गया जिनके आधार पर अपीलान्टगण भी उनके पुत्र एवं मांगीलाल के पौत्र एवं अन्य पोत्रियॉ भी रही है जिनका भी हक हिस्सा उक्त जायदाद में बनता है, परन्तु उनके नाम किसी प्रकार से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किये गये, केवल मात्र हुकमाराम का नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त जायदाद में अपीलान्ट के प्रत्येक के 1/7 में हक–हिस्सा बनता है। राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि स्वामित्व का प्रतीक नहीं है वह केवल लगान का निर्धारण करता है जिससे किसी व्यक्ति को हक–अधिकार हासिल नहीं होते है। उक्त जायदाद सामलाती रही है, उस पर अपीलान्ट का कब्जा पिता के 1/7 हिस्से में आज भी चला आ रहा है। अपीलान्ट के पिता कानूनी जानकारी नही रखते थे,

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के सिखावे में आकर रेस्पो0 संख्या एक ने इकरारनामा, आममुख्तयारनामा तथा वसीयतनामा हुकमाराम से दिनांक 27.6.2001 को लिखवा लिया और उन दस्तावेजों में हुकमाराम के हिस्से से भी अधिक भूमि का अंकन करवा लिया जबकि उक्त जायदाद में केवल 1/7 हिस्से यानि 1.19 बीघा ही बनता है, में से 1/10 हिस्सा ही हुकमाराम का बनता है। ऐसे में अपने हिस्से से अधिक की जायदाद 02.00 बीघा का किया गया हस्तान्तरण शून्य है जिससे किसी व्यक्ति को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त आम मुख्तयारनामा के आधार पर 02 बीघा भूमि का बेचाननामा दिनांक 27.11.2003 को निष्पदित करवा लिया जो शून्य है जिससे रेस्पो0 संख्या एक को कोई अधिकार नहीं मिलता है। उक्त बेचाननामा को शून्य घोषित करवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया जा चुका है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि दिनांक 27.11.2003 को निष्पादित बेचाननामा को पंजीयन कार्यालय में उक्त दिनांक को पंजीयन नहीं किया गया तथा दिनांक 16.3.2007 को बेचाननामा पंजीबद्ध किया गया जबकि दिनांक 11.4.2004 को हुकमाराम का देहान्त हो चुका था जिसके कारण दिनांक 16.3कृ2007 को पंजीबद्ध किया गया बेचाननामा भी गलत है तथा मृत व्यक्ति के नाम से निष्पादित बेचाननामा निष्पादित कर दिया गया है, वह भी गलत है। जबकि

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पृथ्वीसिंह को इस बात की जानकारी थी कि तथाकथित आममुख्तयार नामा दाता का देहान्त पूर्व में हो चुका है क्यों कि वह उनसे परिचित था तथा उसकी जानकारी रही है और मिलीभगती करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उस कार्यवाही में अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद दिनांक 26.8.2005 की कार्यवाही में हिस्सा लिया। उक्त निष्पादित बेचाननामा के आधार नामा0 दर्ज करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो खारिज हो गई, उसके विरूद्ध प्रथम अपील सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष पेश की जो भी खारिज कर दी गई, सम्भागीय आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई जो स्वीकार की गई जिसके अनुसरण में प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलान्ट को भी सुनवाई का मौका/अवसर देकर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। जिस बेचाननामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि के लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसे शून्य घोषित करवाने हेतु एक वाद अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया है तथा अभी विवाद वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार भी पक्षकार है, उसके बावजूद भी तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 12.12.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए ख0सं0 335 रकबा 13.19 बीघा भूमि में हुकमाराम के वारिसों के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा भूमि हेतु नामा0 संख्या 1597 को आंशिक निरस्त करते हुए उक्त भूमि का नामा0 प्रार्थी कालूसिंह पुत्र आसूलाल माली के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये जिसके विरूद्ध यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अवैध, गैर कानूनी व विधि विरूद्ध है जो निरस्त करने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर द्वारा अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो कि विधि की प्रकिया का दुरूपयोग है तथा नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है। अपीलान्टस को उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने भी रेस्पो0 संख्या एक को कब्जा सुपुर्द नहीं किया है। तहसीलदार जोधपुर ने कब्जे की किसी प्रकार की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पपारित कर दिया है जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर के समक्ष ग्राम पूंजला के ख0सं0 335 का नामा0 स्वीकृत नही करने बाबत लिखित में

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आपत्ति भी पेश की थी तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका विचाराधीन होने व स्थगन पारित होने का हवाला दिया तथा कालूसिंह का कब्जा नहीं होना बताया तथा रिट याचिका का निस्तारण होने तक कालूसिंह के पक्ष में नामा0 स्वीकृत नहीं करने बाबत आपत्ति पेश की थी। अपीलान्टस की ओर से वादग्रस्त जायदाद के लिये माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 11997/17 व 13324/16 विचाराधीन होने बाबत दस्तावेज पेश किये तथा एक सिविल वाद भी विचाराधीन होना बताया था जिसमें स्पष्ट रूप से कब्जा अपीलान्ट द्वारा अपना बताया गया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण एवं अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर के कारण यह अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दी जावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अन्त में यह भी कथन किया कि उपरोक्त समस्त परिस्थितियों, दस्तावेजों, कथनों, अपीलान्ट के हक–हितों को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में पारित अपीलाधीन आदेश बाबत नामा0 दर्ज करने का दिनांक 12.12.2017 को निरस्त किया जावे। अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज की प्रतियॉ, निर्णय नजीरे इत्यादि अवलोकनार्थ पेश किये यथा एसबी सिविल रिट संख्या 19789/2023, एसबी सिविल रिट संख्या 3377/2023, एसडीएम कोर्ट प्रकरण संख्या 177/2022 में पारित स्थगन आदेश की प्रति, अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 02 जोधपुर महानगर के पारित स्थगन आदेश जो ज्यूडिसियल नोटिस के लिये है, इत्यादि।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा तहसीलदार जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 8.12.2017 को पेश करते हुए निवेदन किया था कि ग्राम पून्दला तहसील जोधपुर के ख0सं0 335 रकबा 13.19 बीघा के 1/7 हिस्सा भूमि मुझ प्रार्थी के द्वारा श्री हुकमाराम सहखातेदार से जरिये पंजीयन बेचान दस्तावेज के खरीदं की गई है एवं खरीदशुदा है उक्त भूमि बाबत एक प्रकरण संख्या 11673/2007 कालूसिंह बनाम शान्तीदेवी में मेरे पक्ष में फैसला हुआ है जिसके आधार पर मेरे द्वारा नामा0 दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। उक्त भूमि बाबत पटवारी हल्का द्वारा स्थगन होने का हवाला दिया गया। उक्त भूमि के

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

संभागीय आयुक्त जोधपुर

सम्बन्ध में एक अन्य प्रकरण अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय जोधपुर में 259/2017 अनवान महेश गहलोत बनाम श्रीमती सज्जनकंवर वगैराह विचाराधीन रहा जो दिनांक 27.11.2017 को खारिज हो चुका था ऐसे में उक्त स्थगन स्वतः ही खारिज हो गया अब कोई स्थगन नहीं है अतः उक्त भूमि स्थगन मुक्त होने से मेरे खरीदशुदा 1/7 हिस्सा भूमि का नामा0 स्वीकृत किया जावे।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने प्रकरण संख्या 21/2017 दर्ज किया गया। तथा उल्लेखित घटनाकम का हवाला देते हुए यानि कि वादग्रस्त खसरा भूमि के सहखातेदार हुकमाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से यानि 1/7 हिस्से की भूमि रेस्पो0 संख्या एक को जरिये आममुख्तयार श्री पृथ्वीसिंह के द्वारा दिनांक 27.11.2003 को बेचान कर दी जिसका तत्समय में नामा0 दर्ज नहीं हुआ। उसी दौरान श्री हुकमाराम की मृत्यु दिनांक 11.4.2004 को गई और फौतेदगी नामा0 संख्या 1597 दिनांक 12.4.2006 को दर्ज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील, द्वितीय अपील पेश हुई जो खारिज हो गई जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी हुई जो स्वीकार हुई जिसमें उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/7 हिस्से की भूमि जो हुकमाराम के नाम दर्ज थी उसे अपनी मृत्यु पूर्व बेचान करने पर कालूसिंह के पक्ष में दर्ज की जानी थी, उक्त सीमा तक नामा0 संख्या 1597 को निरस्त कर शेष भूमि यथावत रखते हुए के आदेश पारित होने पर ग्राम पूंजला का उक्त नामा0 हुकमाराम के वारिसों के नाम दर्ज हिस्सा 1/7 की भूमि हेतु नामा0 संख्या 1597 को आंशिक निरस्त कर दिया, उसके बाद पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमि पर किन व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने सम्बन्धी तथा किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन/स्थगन होने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर रेस्पो0 संख्या एक की ओर से भी अपना पक्ष पेश करते हुए किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होना तथा वाद न ही विचाराधीन होना बताया। जिसके पश्चात तहसीलदार जोधपुर ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानी प्रकरण में पारित आदेशानुसार फौतेदगी नामा0 संख्या 1597 को हुकमाराम के 1/7 हिस्से की आई हुई भूमि तक निरस्त करते हुए मुझ रेस्पो0 संख्या एक कालूसिंह के नाम मेरे पक्ष में हुए बेचान दस्तावेज के अनुसार नामा0 दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल एवं नियमों के अनुसार उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इसके अतिरिक्त अपीलाधीन रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में की जा रही नामा0 की कार्यवाही के समय किसी भी न्यायालय में न तो कोई वाद विचाराधीन रहा है और न ही किसी प्रकार का स्थगन हो रखा था, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने समक्ष आये दस्तावेजों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की थी। जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि दिनांक 1.12.2017 को को ढलाराम की ओर से तहसीलदार के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में नामा0 नहीं करने एवं अपीलान्टस को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान करने बाबत आपत्ति पेश की थी जिसका प्रत्युतर रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा भी लिखित में दिया गया जिसमें नामा0 कार्यवाही रोके जाने बाबत किसी प्रकार का स्थगन सिविल न्यायालय द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपत्ति पेश किये जाने तक नहीं होने का उल्लेख किया तथा नामा0 कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया। परन्तु उसके उपरान्त भी रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 12.12.2017 के अनुसार नामा0 की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अपीलान्टस की ओर से उक्त बेचान दस्तावेज के निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में भी चाराजोही की जा रही है जो कि लम्बित चल रही है। जिसके विरूद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर पंजीयन जोधपुर के समक्ष भी प्रकरण अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया था जो भी खारिज हो गया। अपीलान्ट के द्वारा अपनी इस अपील में यह कहा जाना कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो पूर्ण रूप से अस्वीकार करने योग्य है क्योंकि राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुई निगरानी प्रकरण में ये पक्षकार संस्थित रहे है तथा इन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था तो ऐसे में निगरानी में हुए आदेश की अक्षरशः पालना तहसीलदार जोधपुर को करनी थी जिस हेतु अपीलान्ट को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था ही नहीं। बेचान दस्तावेज निष्पादित होने के उपरान्त उसका उस समय पंजीयन नहीं होने से खरीददार के हक–अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है क्योंकि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा खरीदी गई भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल हुकमाराम देने के उपरान्त ही उनकी ओर से नियुक्त आम मुख्तयार के माध्यम से भूमि की खरीद की गई है। पंजीयन कार्यालय के द्वारा उक्त बेचान दस्तावेज को मात्र मुद्रांक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की कमी पूर्ति पूर्ण नहीं करने के कारण पंजीयन दस्तावेज इतने समय तक पंजीबद्ध नहीं किया जा सका, उसके लिये रेस्पो0 संख्या एक किस प्रकार से हानि उठाये। इस बाबत कलेक्टर मुद्रांक, जोधपुर के द्वारा भी निर्णय दिया जा चुका है। अपीलान्टस को चाहिये था कि वे उनके पिता की ओर से अपने हक–हिस्से की भूमि के किये गये बेचान को स्वीकार करते तथा बेचान की गई भूमि का कब्जा रेस्पो0 संख्या एक को सौपते परन्तु ऐसा नहीं कर उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही करने पर आतुर हो गये।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज की प्रतियॉ, निर्णय नजीरे इत्यादि अवलोकनार्थ पेश किये यथा 2017(2) डीएनजे राज पेज 743, निगरानी/ एलआर/11673/2007/जोधपुर अनवान कालूसिंह बनाम श्रीमती शांतीदेवी वगैराह, नजरसानी/एलआर/रेफरेन्स/ 2945/2017/ जोधपुर अनवान मोतीलाल वगैराह बनाम कालूसिंह वगैराह, अति0सिविल न्यायालय संख्या 8, जोधपुर महानगर, सीएओ 74/2018 ढलाराम वगैराह बनाम कालूसिंह वगैराह, न्यायालय कलेक्टर मुद्रांक, जोधपुर प्रकरण संख्या 4/2022 प्रदीप बनाम कालूसिंह वगैराह, निष्पादित आम मुख्तयारनामा दिनांक 27.6.2021, निष्पादित बेचाननामा दिनांक 27.11.2003, मृत्यु प्रमाण पत्र हुकमाराम दिनांक 11.04.2004 इत्यादि।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कब्जा, बेचान दस्तावेज, हक–अधिकार प्राप्ति हेतु पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालयों एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय में मामले विचाराधीन चल रहे है। ऐसे में अपील पर किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है और न ही अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जा सकती है।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावेजों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि वादग्रस्त खसरा भूमि के सहखातेदार हुकमाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से यानि 1/7 हिस्से की भूमि रेस्पो0 संख्या एक को जरिये आममुख्तयार श्री पृथ्वीसिंह के द्वारा दिनांक 27.11.2003 को बेचाननामा निष्पादित करते हुए बेचान कर दी गई परन्तु उनके नाम नामा0 दर्ज नहीं हुआ। उनके उपरान्त श्री हुकमाराम की मृत्यु

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 11.4.2004 को हो जाने पर विरासत का नामा0 संख्या 1597 दिनांक 12.4.2006 को हुकमाराम के वारिसान के नाम यानि अपीलान्टस के पक्ष में दर्ज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध उच्चतर राजस्व न्यायालयों के समक्ष प्रथम अपील, द्वितीय अपील पेश हुई जो खारिज हो गई जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या एलआर/11673/2007/जोधपुर पेश हुई जो राजस्व मण्डल के द्वारा दिनांक 12.05.2017 को स्वीकार की गई जिसमें राजस्व मण्डल के द्वारा यह आदेश पारित करते हुए कि "प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर, जोधपुर तथा संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुए हुकमाराम के इन्तकाल संख्या 1597 दिनांक 12.04.2006 को संशोधित करते हुए ख0सं0 335 रकबा 13.19 बीघा में से मृतक हुकमाराम के 1/7 हिस्से अर्थात 02.00 बीघा भूमि की हद तक मृतक हुकमाराम के उत्तराधिकारियों के पक्ष में स्वीकृत इन्तकाल निरस्त कर 1/7 हिस्सा का इन्तकाल कालूसिंह रेस्पो0 संख्या एक के नाम से स्वीकृत किया जाता है। शेष इन्तकाल संख्या 1597 यथावत रखा। तहसीलदार जोधपुर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्णयानुसार इन्तकाल संख्या 1597 दिनांक 12.04.2006 में लाल स्याही से अंकन करें।"

राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा उपरोक्त निगरानी में पारित आदेश के क्रम में तहसीलदार जोधपुर उक्त सीमा तक नामा0 संख्या 1597 को निरस्त कर शेष भूमि यथावत रखते हुए के आदेश पारित होने पर ग्राम पूंजला का उक्त नामा0 हुकमाराम के वारिसों के नाम दर्ज हिस्सा 1/7 की भूमि हेतु नामा0 संख्या 1597 को आंशिक निरस्त कर दिया, उसके बाद पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमि पर किन व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने सम्बन्धी तथा किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन/स्थगन होने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर रेस्पो0 संख्या एक की ओर से भी अपना पक्ष पेश करते हुए किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होना तथा वाद न ही विचाराधीन होना बताया। जिसके पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 के द्वारा तहसीलदार जोधपुर ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानी प्रकरण में पारित आदेशानुसार फौतेदगी नामा0 संख्या 1597 में हुकमाराम के 1/7 हिस्से की आई हुई भूमि का उनके वारिसों की हद तक निरस्त करते हुए रेस्पो0 संख्या एक कालूसिंह के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत इस अपील में मुख्य आधार यह अंकित किया गया है तहसीलदार जोधपुर के द्वारा निगरानी में पारित आदेश की पालना में प्रकरण दर्ज अवश्य किया परन्तु न तो उन्हें आवश्यक पक्षकार संस्थित किया गया है तथा अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है और न ही उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया गया है। जायदाद विवादित होने के कारण सभी पक्षों को सुना जाना आवश्यक था। तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलाधीन कार्यवाही के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के बाबत किसी प्रकार की जॉच नहीं करवाई जाना उल्लेखित किया है।

वादग्रस्त भूमि के हुए बेचान के सम्बन्ध में तथा हक–अधिकार बाबत दोनों पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालयों एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना भी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों इत्यादि से प्रतीत होता है। ऐसे में हमारी विनम्र रॉय में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन करने के उपरान्त तथा न्यायालयो में चल रहे प्रकरणों के आलोक में प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने, माननीय सिविल न्यायालयों, राज0 उच्च न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विधि अनुरूप निर्णय लिये जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए पक्षकारान को अपना पक्ष रखने, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने, विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त प्रकरण में वादग्रस्त खसरा भूमि के सम्बन्ध में विधि अनुरूप निर्णय करें। निर्णय आज 18 जून, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर